Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033,e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

15वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण (प्राधिकार : राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 25)		
स्थल	:	कुलपति सचिवालय सभा कक्ष
दिनांक	:	18 मार्च 2016, शुक्रवार
समय	:	प्रातः 11.30 बजे

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota - 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No. 0744-2473033, e-mail ID: financeofficerrtu@gmail.com

एफ (3)/लेखा/15th FC/157/2015–16/ 4479-85 दिनांक :21.03.2016

1 प्रो. एन. पी. कौशिक, अध्यक्ष
कुलपति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

2 श्री राजहंस उपाध्याय, सदस्य
अतिरिक्त मुख्य सचिव
तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर

3 श्री रघुवीर सिंह मीना (सम्भागीय आयुक्त, कोटा), सदस्य
प्रतिनिधि, वित्त विभाग, राजस्थान सरकार जयपुर

4 प्रो. राजीव गुप्ता, सदस्य
प्रति कुलपति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

5 श्री जे. के. पुरोहित, सदस्य वित्त समिति
कुलसचिव,
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

6 प्रो. ए.के द्विवेदी, सदस्य
परीक्षा नियंत्रक
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

7 एस. एन. शर्मा, सदस्य सचिव
वित्त नियंत्रक
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

विषय : वित्त समिति की 15वीं बैठक का कार्यवाही विवरण।

महोदय,

राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की 15वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 18.03.2016 को कुलपति सचिवालय में आयोजित की गयी। उक्त बैठक का कार्यवही विवरण एवं राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की निजी आय एवं व्यय का वर्ष 2016–17 का बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2015–16, माननीय कुलपति एवं अध्यक्ष वित्त समिति के अनुमोदन उपरांत संलग्न कर अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्न : उपर्युक्तानुसार

भवदीय,

(एस.एन. शर्मा)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव (वित्त समिति)
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

Rajasthan Technical University, Kota
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा
Rawatbhata Road, Akelgarh Kota – 324010
Ph No.-0744-2473903 Fax No.- 0744-2473033,e-mail ID financeofficerrtu@gmail.com

कार्यवाही विवरण
(15वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 18 मार्च, 2016)

वि.स.क्र. 15.1	**वित्त समिति की 13वीं बैठक का कार्यवाही विवरण :–** (वित्त नियंत्रक)
	वित्त समिति की 13वीं बैठक दिनांक 31.03.2015 को प्रातः 11.30 कुलपति सचिवालय सभा भवन में प्रो. एन. एस. व्यास, कुलपति, राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 13वीं वित्त समिति की बैठक का कार्यवाही विवरण जो कि पत्रांक एफ/(3)लेखा/127/13वीं वित्त समिति/2015–16/316–332 दिनांक 01.05.2015 द्वारा प्रसारित किया गया, परिशिष्ट–1 पृष्ठ संख्या 1 से 64 पर पुष्टि हेतु प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा अवलोकन कर कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।**
वि.स.क्र. 15.2	**13वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.03.2015 में लिये गये निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन :–** (वित्त नियंत्रक) 13वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 31.03.2015 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक के बिन्दु संख्या 24.5 द्वारा होने के उपरांत अनुपालना प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 65 से 75 पर प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा 13वीं बैठक में लिये गये निर्णयों की क्रियान्विति पर सन्तोष व्यक्त किया गया साथ ही समिति द्वारा 13वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 13.9 पर लिये गये निर्णय के क्रम में गठित समिति में विशेष आमन्त्रित, वित्त विभाग के प्रतिनिधि श्री आबिद खान, वित्त सलाहकार, सी.ए.डी., कोटा के स्थान पर वित्त सलाहकार, सी.ए.डी., कोटा को नामित करने की अनुशंषा की गयी।**

वि.स.क्र. 15.3	**वित्त समिति की 14वीं बैठक का कार्यवाही विवरण। (वित्त नियंत्रक)** वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 29.05.2015 को प्रातः 11.30 बजे कुलपति सचिवालय सभा भवन में प्रो. विनय पाठक, कुलपति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई। 14वीं वित्त समिति का कार्यवाही विवरण पत्रांक एफ (3)/लेखा/132/14वीं वित्त समिति/2015–16/710–19 दिनांक 03.06.2015 द्वारा प्रसारित किया गया जो परिशिष्ट–2 पृष्ठ संख्या 76 से 94 पर पुष्टिं हेतु प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा अवलोकन कर कार्यवाही विवरण की पुष्टि की गई।**
वि.स.क्र. 15.4	**वित्त समिति की 14वीं बैठक दिनांक 29.05.2015 में लिये गये निर्णयों का अनुपालना प्रतिवेदन :– (वित्त नियंत्रक)** 14वीं वित्त समिति की बैठक दिनांक 29.05.2015 में लिये गये निर्णयों का अनुमोदन प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक के बिन्दु संख्या 24.5 द्वारा होने के उपरांत अनुपालना प्रतिवेदन पृष्ठ संख्या 95 से 102 पर प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा क्रियान्विति विषयक विवरण का अवलोकन कर टेबल कार्यसूची बिन्दु 14.3 एवं 14.4 के अन्तर्गत क्रमशः डीन अकेडमिक अफेयर्स एवं कुलसचिव के स्तर पर अपेक्षित कार्यवाही शीघ्र कर प्रकरणों के नियमानुसार निस्तारण करने एवं टेबिल कार्यसूची बिन्दु 14.1 के अंतर्गत CBDT को स्मरण पत्र जारी करने के निर्देश दिये गये।**
वि.स.क्र. 15.5	**विश्वविद्यालय की निजी आय एवं व्यय के वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान एवं संशोधित बजट अनुमान वर्ष 2015–16 के अनुमोदन के सम्बन्ध में। (वित्त नियंत्रक)**
	14वीं वित्त समिति की बैठक में वर्ष 2015–16 के लिये निर्धारित आय/व्यय के अनुमानों एवं वर्ष 2016–17 के लिए प्रस्तावित अनुमानों के सारांश का योग निम्नांकित सारणी में प्रस्तुत किया गया जिसका मद वार विवरण परिशिष्ट–3 पृष्ठ संख्या 103 से 108 पर अवलोकनार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प

समिति द्वारा बजट प्रावधानों का अवलोकन एवं आवश्यक विचार–विमर्श उपरांत वित्त वर्ष 2015–16 के संशोधित बजट अनुमान एवं वर्ष 2016–17 के बजट अनुमान निम्नांकित आंशिक संशोधनों/निर्देशों सहित अनुमोदित किए गये :–

1. (a) Budget Estimate 2016-17 (Expenditure) :-

S. No.	Object Code	Budget Head	Proposed BE Amount	Sanctioned BE Amount	Remarks
1	13	Scholarship & Stipend (Scholarship (Teaching Asstt) for M. Tech. and Ph. D. programe	100.00	180.00	--
2	5	Purchase of all type of furniture (Student/faculty/hostel/office and any type of furniture)	33.00	100.00	नवनिर्मित छात्रावास, गेस्ट हाउस, स्टॉफ/फेकल्टी हेतु।
3	6	Purchase of Vehicles (Purchase of car)	00.00	20.00	माननीय कुलपति के लिए नयी कार क्रय हेतु
4	17	Major works (Constructions more than 50 lcas)	2100.00	1933.00	

(b) Revised Estimate 2015-16 (Expenditure)

S. No.	Object Code	Budget Head	Proposed RE Amount	Sanctioned RE Amount	Remarks
1	1	Salary & Provisions – Salaries, renewal premium for gratuity, leave encashment fund with LIC, University Contribution to CPF	2906.85	3200.00	वास्तविक व्यय/भुगतान के आधार पर

(2) विभिन्न Object Codes & Budget Heads में डीन फेकल्टी अफेयर्स को स्वीकृत राशि का NBA National Board of Accreditation के निर्धारित मानदंडों के परिपेक्ष्य में विभिन्न विभागों को माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरांत औचित्यपूर्ण आवंटन कर वित्त नियंत्रक को प्रस्तुत करेंगे।

(3) बजट मैन्युअल के प्रावधान (बिन्दु संख्या 23.8.3) के अनुसार Outlay के सीमान्तर्गत शीर्षों में निधियों का हस्तान्तरण/पुनर्विनियोजन वित्त नियंत्रक के परामर्श पर माननीय कुलपति द्वारा किया जा सकेगा।

(4) विशेष परिस्थितियों में Outlay शीर्षों के बाहर स्वीकृति बजट नियंत्रण अधिकारी के रूप में माननीय कुलपति महोदय द्वारा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम 2006 की धारा 12(6) में अनुमत की जायेगी जिसे अनुवर्ती वित्त समिति से अनुमोदित कराया जाएगा।

(5) विश्वविद्यालय का NBA से Accreditation, UGC अधिनियम की धारा 12 B के अतंर्गत मान्यता/पंजीयन, AICTE से विशिष्ट पाठ्यक्रमों की मान्यता एवं कस्टम ड्यूटी से छूट प्राप्त करने के संबंध में तत्परतापूर्वक

	त्वरित कार्यवाही सम्पादित करने हेतु पृथक समिति का गठन एवं पृथक–पृथक प्रभारी अधिकारियों को अविलम्ब मनोनीत किया जाकर वांछित मान्यता/प्रमाणन/पंजीयन प्राप्त करने के भरसक प्रयास किये जावें ताकि भारत सरकार/अन्य एजेन्सियों से सहायतार्थ अनुदान तथा कस्टम ड्यूटी से छूट का लाभ विश्वविद्यालय को मिल सके।
वि.स.क्र. 15.6	**आयोजना भिन्न मद में बजट वर्ष 2015–16 में टोकन प्रावधान होने के कारण व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने के सम्बन्ध में।** **(वित्त नियंत्रक)**
	वित्त वर्ष 2015–16 में बजट निर्णायक समिति की बैठक में आयोजना भिन्न बजट में संवेतन मद हेतु अनुदान राशि रू. 0.01 लाख का प्रावधान किया गया था, जिसका कार्यवाही विवरण तित्त विभाग की वेब साइट आई एफ एम एस पर उपलब्ध है। राज्य सरकार द्वारा विश्वविद्यालय को कोई बजट राशि संवेतन मद में उपलब्ध नहीं कराई गयी है। (परिशिष्ट–4 पृष्ठ संख्या 109 से 110 तक) अतः इस मद में होने वाले व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से करने हेतु प्रस्ताव समिति के समक्ष अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव को अनुमोदित किया गया।**
वि.स.क्र. 15.7	**आयोजना मद में बजट वर्ष 2015–16 में आवंटित राशि रू. 50.00 लाख के उपयोग के सम्बन्ध में।** **(वित्त नियंत्रक)**
	वित्त वर्ष 2015–16 में वित्त विभाग की बजट निर्णायक समिति की बैठक में आयोजना मद में राशि रू. 50.00 लाख का प्रावधान पूंजीगत परिसम्पत्तियों के सृजन हेतु सहायतार्थ अनुदान उप मद में स्वीकृत किया गया है, जिसका कार्यवाही विवरण वित्त विभाग की वेब साइट आई एफ एम एस पर उपलब्ध है। (परिशिष्ट–5 पृष्ठ संख्या 111 से 113 तक)। जिसका उपयोग चालू वित्तीय वर्ष में विनिर्दिष्ट प्रयोजनार्थ कर लिया जावेगा। उक्त प्रस्ताव समिति के समक्ष प्रस्तुत किये गये।
संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया।**
वि.स.क्र. 15.8	**प्रबंध मण्डल की बिना स्वीकृति 110 एयर कंडीशनर्स क्रय करने के संबंध में।** **(वित्त नियंत्रक)**
	वित्त विभाग (आय–व्ययक अनुभाग) के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 से जारी मितव्ययता संबंधी निर्देशों के बिन्दु संख्या 3(1) में एयर कंडीशनर का क्रय वित्त विभाग की पूर्वानुमति से ही किये जाने के निर्देश प्रदत्त है (परिशिष्ट–6 पृष्ठ संख्या 114 से 115)।

"राजकीय उपक्रमों, कम्पनियों, बोर्ड्स एवं निकायों में रिक्त पदों पर नियुक्ति, पदो के सृजन एवं क्रमोन्नयन के प्रकरणों के अतिरिक्त अन्य मामलों में यदि अपरिहार्य कारणों से शिथिलता आवश्यक हो तो उस पर संबंधित संचालक मंडल निर्णय ले सकेगा।"

श्री राजन करीर, एसोसियेट प्रोफेसर तत्कालीन OIC द्वारा विभागाध्यक्षों/डीन्स की बैठक का हवाला देते हुये 95 एयरकंडीशनर क्रय करने की अभिशंषा की गई तथा वित्त नियंत्रक द्वारा उप/सहायक कुलसचिवों के लिए 15 अतिरिक्त एयर कंडीशनर क्रय करने की मांग की गई जिसे तत्कालीन कार्यवाहक कुलपति श्री विनय पाठक द्वारा अनुमोदित किया गया।

तत्कालीन क्रय समिति द्वारा DGS&D दर संविदाधारी फर्म मैसर्स हिताची होम एण्ड लाइफ सोल्यशन्स लिमि., गुजरात से एयर कंडीशनर्स क्रय करने का निर्णय लिया गया तथा वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के अनुसरण में संचालक मंडल के समक्ष प्रस्तुत किये जाने की अनुशंषा की गई। जिसके क्रम में उक्त उपापन का टेबल एजेण्डा BOMT 24.06 प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 में प्रस्तुत किया गया किन्तु तत्समय उक्त बैठक के कार्यवाही विवरण जारी न होने की स्थिति में माननीय कुलपति द्वारा उक्त उपापन हेतु आपूर्ति आदेश दिनांक 13.07.2015 को राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2006 की धारा 12(6) के अन्तर्गत अनुमोदित किया गया। प्रबंध मंडल की 24वीं बैठक दिनांक 13.07.2015 के बिन्दु संख्या BOMT 24.6 पर वित्त विभाग के पूर्वोक्त परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के परिपेक्ष्य में क्रय संबंधी शिथिलता प्राप्त करने हेतु संकल्प पारित किया गया (पृष्ठ संख्या 116)।

तदुपरान्त वित्त नियंत्रक के आदेश क्रमांक 6305–07 दिनांक 21.07.2015 से मैसर्स हिताची लि. के पक्ष में 110 एयर कंडीशनर का आपूर्ति आदेश राशि रू. 35.96 लाख जारी किया गया (पृष्ठ संख्या 117–118)।

तत्पश्चात् कुलसचिव के आई.ओ.एन. दिनांक 04.08.2015 से अंतिम कार्यवाही विवरण जारी कर बिन्दु संख्या 24.6 से पूर्वोक्त संकल्प प्रत्याहरित किया जाकर यह निर्णय लिया गया कि एजेण्डा आगे पुनः रखा जावेगा (पृष्ठ संख्या 119–121)।
उक्त आपूर्ति के समक्ष निरीक्षण समिति द्वारा प्रस्तुत रिपोर्ट से समस्त 110 एयर कंडीशनर्स की आपूर्ति एवं प्रतिस्थापन प्रमाणित किया गया (पृष्ठ संख्या 122)।

	प्रकरण में वित्त विभाग के परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के अंतर्गत एयर कंडीशनर्स क्रय करने के संबंध में वित्त विभाग से कार्योत्तर स्वीकृति/प्रबंध मण्डल की शिथिलता अपेक्षित है। विशेषाधिकारी, उच्च शिक्षा, राज्यपाल सचिवालय, जयपुर के पत्रांक 861 दिनांक 02.02.2016 से "प्रबंध मंडल की बिना स्वीकृति राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में खरीदे 110 ए.सी." के संबंध में तथ्यात्मक टिप्पणी चाही गई है (पृष्ठ संख्या 123)। फर्म मैसर्स हिताची लिमि. द्वारा बिल राशि रू. 36.05 लाख के भुगतान की मांग की गई है (पृष्ठ संख्या 124 से 125)। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन एवं आवश्यक विचार विमर्श उपरांत निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये :–** **1 वित्त विभाग के वित्तीय मितव्ययिता परिपत्र दिनांक 30.06.2010 के अंतर्गत उपगत सामग्री का औचित्य परिवर्णित करते हुये पृथक एजेण्डा प्रबंध मण्डल के समक्ष अपेक्षित शिथिलता/कार्योत्तर स्वीकृति प्राप्त करने हेतु निर्णयार्थ रखा जावे।** **2 भविष्य में ऐसी घटनाओं/गतिविधियों की पुनरावृत्ति पर अंकुश हेतु विश्वविद्यालय प्रबंधन द्वारा प्रभावी कार्यवाही सुनिश्चित की जावे।** **3 वित्तीय मितव्ययिता के परिपेक्ष्य में बिजली की खपत पर संभाव्य व्यय को दृष्टिगत रखते हुए उपाप्त उपकरणों/सामग्री का औचित्य पूर्ण उपयोग सुनिश्चित करने हेतु आवश्यक कदम उठायें जावे।**
वि.स.क्र. 15.9	**स्व. श्री अभिराज सिंह के परिजनों को विश्वविद्यालय कोष से राशि रू. 3.00 लाख के भुगतान के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)**
	संघटक महाविद्यालय के छात्र श्री अभिराज सिंह (बी.टेक प्रथम वर्ष) की दिनांक 09.07.2015 को जवाहर सागर डेम से अचानक पानी छोडने के कारण पानी में बहने एवं चट्टान से सिर टकराने से मृत्यु होने पर स्व. छात्र के पिता श्री रघुराज सिंह द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर राशि रू. 3.00 लाख अनुकम्पा राशि प्रदान करने हेतु अनुरोध किया गया। दिनांक 13.07.2015 को सम्पन्न प्रबंध मंडल की 24वीं बैठक के कार्यवाही विवरण के पृष्ठांकन में तत्कालीन कुलपति श्री विनय पाठक द्वारा हस्तलिखित टिप्पणी की गई कि "On the behalf of Shri Prahlad Gunjal, the family of late Abhiraj Singh student of I[st] year should be given Rs. 3.00 lacs from University Fund." (परिशिष्ट–7 पृष्ठ संख्या 126)

	कुलसचिव के कार्यालय आदेश क्रमांक 9246–52 दिनांक 11.09.2015 से प्रबंध मंडल की बैठक दिनांक 13.07.2015 का हवाला देते हुए स्व. श्री अभिराज सिंह के परिजनों को विश्वविद्यालय कोष से राशि रू. 3.00 लाख दिये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई (पृष्ठ संख्या 127) विद्यार्थी सुरक्षा दुर्घटना बीमा योजनान्तर्गत संयुक्त निदेशक, राज्य बीमा एवं प्रावधायी विभाग, कोटा के आदेश क्रमांक 80 दिनांक 28.09.2015 से प्रकरण में दावेदार श्री रघुराज सिंह (स्व. अभिराज सिंह सोलंकी के पिता) के पक्ष में राशि रू. 1.00 लाख भुगतान किये जाने की स्वीकृति प्रदान की गई (पृष्ठ संख्या 128)। विश्वविद्यालय नियमों में आलोच्य प्रकरण में विश्वविद्यालय कोष से भुगतान किये जाने के उपाबंध होना नहीं पाया जाता है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णय हेतु प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**विश्वविद्यालय द्वारा स्वयं के परिनियग/अध्यादेश पारित होने तक राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के परिनियमों/अध्यादेशों को अंगीकृत किया गया है। अतः समिति द्वारा प्रकरण में निम्नांकित कार्यवाही अमल में लाई जाने के निर्देश दिये गये :–** **राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के विद्यमान परिनियमों/अध्यादेशों के सुसंगत उपाबंधों/विश्वविद्यालय के स्टॉफ वेलफेयर फण्ड में विहित प्रावधानों के परिपेक्ष्य में वांछित प्रस्ताव (सुझाव) तैयार कर पुनः प्रबंध मण्डल के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ रखा जावे।**
वि.स.क्र. 15.10	**ई–टेण्डरिंग की सीमा राशि के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)**
	14वीं वित्त समिति की बैठक में बिन्दु संख्या 14.6 पर लिये गये निर्णयानुसार राशि रू. 5 लाख से कम के उपापन (संकर्म) को ऑफ लाइन पद्धति एवं राशि रू. 5 लाख व अधिक के उपापन (संकर्म) हेतु ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया लागू करने का निर्णय लिया गया किन्तु प्रबंध मण्डल की 24वीं बैठक (दिनांक 13.07.2015) के बिन्दु संख्या 24.5 के अनुसार राशि रू. 2.00 लाख व अधिक के समस्त उपापन ई–टेण्डरिंग के माध्यम से ही क्रियान्वित करने का निर्णय लिया गया। (परिशिष्ट–8 पृष्ठ संख्या 129) विश्वविद्यालय द्वारा उक्त दोनों निर्णयों को अधिक्रमित करते हुए राशि रू. एक लाख एवं अधिक के समस्त उपापन ई–टेण्डरिंग प्रक्रिया से किये जाने की स्वीकृति जारी की गई (पृष्ठ संख्या 130)।

वित्त (जी एण्ड टी) विभाग, जयपुर की अधिसूचना दिनांक 16.09.2015 के अनुसार RTPP Act 2012 की धारा 28(2) एवं RTPP Rule 2013 के नियम 5 के अन्तर्गत ई–टेण्डरिंग की सीमा निम्नानुसार निर्धारित है (पृष्ठ संख्या 131–132)

(अ) 25.00 लाख रू. या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले माल और सेवाओं के उपापन।
(ब) 10.00 लाख रू. या अधिक के प्राक्कलित मूल्य वाले संकर्मो के उपापन।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प

समिति द्वारा प्रकरण का अनुशीलन कर RTPP Rules के अंतर्गत वित्त विभाग/राज्य सरकार द्वारा ई–निविदा की परिनिर्धारित एवं समय–समय पर संशोधित थ्रेशहोल्ड लिमिट की अक्षरशः पालना करने के निर्देश दिये गये।

वि.स.क्र. 15.11

कम्प्यूटर मशीन मय दक्ष ऑपरेटर्स/सुरक्षा गार्ड/सहायक सेवाएं अनुबंध पर लेने के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)

वित्त–विभाग राजस्थान जयपुर के परिपत्र पं.9(1) वित्त–1 (1)/आय–व्ययक/2008 दिनांक 16 सितम्बर 2009 द्वारा बिन्दु संख्या 5 पर निर्देश प्रदत्त किये गये है कि विभागों द्वारा कम्प्यूटर मय ऑपरेटर/संविदा सेवाएं वित्त–विभाग की अनुमति के पश्चात ही अनुबंध पर ली जा सकेगी (परिशिष्ट–9 पृष्ठ संख्या 133 से 136) तथा सुरक्षा गार्ड/सहायक सेवाएं सैनिक कल्याण कोर्ड के परिपत्र दिनांक 06.08.2013 द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तो के अनुरूप ली जा सकेगी (पृष्ठ संख्या 137)।
विश्वविद्यालय द्वारा वित्त–विभाग/सैनिक कल्याण बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों के क्रम में माननीय कुलपति महोदय की स्वीकृति से आवश्यकतानुसार संविदा एजेन्सी के माध्यम से सुरक्षा सेवाएं/सहायक सेवाएं/मशीन मय दक्ष ऑपरेटर की सेवाएं सैनिक कल्याण विभाग/राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित दरों एवं शर्तो पर ली जा रही है, जिनका विवरण निम्नानुसार है :–

क्र.स.	कार्यालयाध्यक्ष	मशीन मय दक्ष ऑपरेटर्स	सुरक्षा गार्ड	सहायक सेवाएं/वाहन चालक	योग
1	कुलसचिव प्रति–कुलपति कार्यालय	4 1	3	--	8
2	वित्त–नियंत्रक	8	2	--	10
3	परीक्षा नियंत्रक	31	10	--	41
4	डीन फेकल्टी आफेयर्स (निदेशक, यू.सी.ई.)	21	2	10	33
5	डीन अकेडमिक अफेयर्स	6	--	--	6
6	सम्पदा अधिकारी	1	57	1	59
	कुल योग	72	74	11	157

	तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान जयपुर के पत्र दिनांक 15 फरवरी 2016 द्वारा चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी होमगार्ड/सेवा निवृत्त कार्मिकों में से तथा सुरक्षा गार्ड/वाहन चालक की सेवाएं 31.03.2016 के पश्चात Rexco के माध्यम से लिये जाने संबंधी निर्देश दिये गये है। विश्वविद्यालय को Rexco द्वारा 31.03.2016 तक की अवधि हेतु अनुपलब्धता प्रमाण पत्र (NAC) प्रदत्त है (पृष्ठ संख्या 138)। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा प्रकरण पर अपेक्षित चर्चा की गयी तथा आवश्यक विचार–विमर्श उपरांत निर्णय लिया गया कि विश्वविद्यालय में स्वीकृत पदों के समक्ष रिक्त पदों के परिपेक्ष्य में राज्य सरकार द्वारा निर्धारित दरों एवं शर्तो पर अनुमोदित सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से संविदा पर रखे गये मशीनों/मानव संसाधनों की उपादेयता/आवश्यकता का गुण–दोष आधारित सम्यक् परीक्षण किया जावे तथा भविष्य में संविदा सेवाओं की विद्यमान संख्या में (परीक्षा नियंत्रक कार्यालय में पूर्व स्वीकृत मेन विद मशीन 35 संख्या अनुमत करते हुए) वित्त समिति/प्रबंध मण्डल की स्वीकृति प्राप्त किये बगैर कोई वृद्धि अनुमत नहीं किये जाने के निर्देश दिये गये।**
वि.स.क्र. 15.12	**टेलिफोन सुविधा प्रदान करने के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)**
	विश्वविद्यालय के छात्र/छात्रा, छात्रावासों के वार्डन हेतु कार्यालय/निवास पर टेलिफोन सुविधा के संबंध में माननीय कुलपति महोदय से स्वीकृति प्राप्त कर मुख्य छात्रावास अधीक्षक कार्यालय के आदेश क्रमांक 806–809 दिनांक 03.02.2016 द्वारा आदेश जारी किये गये है (परिशिष्ट–10 पृष्ठ संख्या 139–141)। राज्य सरकार के सरकारी विभागों/कार्यालयों के लिए आवास पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा दूरभाष सुविधा स्वीकृत किए जाने के उपरान्त ही अधिकारियों के निवास पर दूरभाष सुविधा उपलब्ध कराए जाने के प्रावधान है। विश्वविद्यालय द्वारा वर्तमान में दूरभाष सुविधा/व्यवस्था उपापन हेतु गठित कमेटी की अभिशंषा पर माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरान्त कार्यालय/निवास पर दूरभाष सुविधा प्रदान की जाती है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा प्रकरण का अवलोकन कर कार्यालय/आवास पर दूरभाष सुविधा स्वीकृत करने के परिपेक्ष्य में निम्नांकित निर्देश दिये गये कि :–**

	1 प्रति–कुलपति, कुलसचिव, वित्त नियंत्रक,, चीफ वार्डन एवं प्रभारी अधिकारी (दूरभाष) को सम्मिलित करते हुए विश्वविद्यालय के अधिकारियों/कर्मचारियों/शिक्षकों के कार्यालय/निवास पर दूरभाष सुविधा के संबंध में समीक्षा हेतु समिति गठित की जावे। 2 कार्य की प्रकृति/आवश्यकता अवधारण के आधार पर समिति द्वारा परीक्षण उपरांत वित्त समिति की आगामी बैठक में वांछित औचित्यपूर्ण प्रस्ताव प्रस्तुत किये जावें।
वि.स.क्र. 15.13	**गेस्ट फेकल्टी मानदेय/पारिश्रमिक एवं छात्रवृत्ति पर होने वाले व्यय के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)**

(i) विश्वविद्यालय में शिक्षकों के रिक्त पदों के समक्ष विभिन्न संकायों के लिए छात्रों के अध्यापन हेतु वित्त समिति द्वारा अनुमोदित दरों पर **प्राइवेट शिक्षकों/छात्रों** की गेस्ट फेकल्टी के रूप में सेवाएं ली जा रही है जिसमें निम्नांकित सारणी के अनुसार गत वर्षो में पारिश्रमिक/मानदेय व्यय में अप्रत्याशित वृद्धि हुई है :–

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
व्यय राशि (लाख में)	19.67	12.42	67.03	101.00

वित्त विभाग/राज्य सरकार के सेवानिवृत्त कार्मिकों/शिक्षकों को ही संविदा पर रखे जाने के निर्देश है।

(ii) विश्वविद्यालय द्वारा एम.टेक. एवं पी.एच.डी. में प्रवेशित समस्त छात्रों को निम्नानुसार छात्रवृत्ति दी जा रही है :–

कोर्स	दर
एम. टेक. नॉन गेट छात्रों के लिए	6000/– रू. प्रतिमाह
एम. टेक. गेट योग्यताधारी छात्रों के लिए	7000/– रू. प्रतिमाह
पी.एच.डी. अध्यनरत छात्रों के लिए	8000/– रू. प्रतिमाह

उक्त दरों से देय छात्रवृत्ति व्यय पर भी गत वर्षो में अप्रत्याशित रूप से वृद्धि हुई है जिसका विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	2012–13	2013–14	2014–15	2015–16
व्यय राशि (लाख में)	90.67	131.57	135.10	251.00

ज्ञातव्य है कि विश्वविद्यालय को UGC/AICTE से छात्रवृत्ति/गेस्ट फेकल्टी इत्यादि के समक्ष किसी प्रकार की वित्तीय सहायता/अनुदान प्राप्त नहीं हो

	रहा है जिसके परिणामस्वरूप उक्त व्यय को विश्वविद्यालय की निजी आय से वहन करना पड़ रहा है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	समिति द्वारा प्रकरण पर विचार विमर्श उपरान्त निम्नांकित निर्देश प्रदान किये गये :– (1) गेस्ट फेकल्टी– (i) डीन फेकल्टी अफेयर्स, विश्वविद्यालय में स्वीकृत शिक्षकों के पदों के समक्ष रिक्त पदों की संख्या का आंकलन कर माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरांत निर्धारित सीमा के अंतर्गत वित्त समिति/प्रबंध मण्डल द्वारा स्वीकृत/अनुमोदित दरों/शर्तो पर ही गेस्ट फेकल्टी रखी जावे। (ii) शिक्षा ग्रुप 4 विभाग के आदेश क्रमांक प.1(3)शिक्षा–4/2010 दिनांक 26.05.2014 के बिन्दु संख्या 1 के क्रम में गैर सेवारत एवं नये अभ्यर्थियों का अतिथि प्रवक्ताओं के रूप में संविदा सेवायें अनुमत करने हेतु महामहिम कुलाधिपति सचिवालय में आयोजित कुलपति समन्वय समिति की आगामी बैठक में औचित्यपूर्ण प्रस्ताव रखे जावें। (2) छात्रवृत्ति – वित्त नियंत्रक द्वारा अवगत कराया गया कि विश्वविद्यालय द्वारा पूर्व में एम.टेक., पी.एच.डी. में प्रवेशित छात्रों की मेरिट के आधार पर प्रथम दस छात्रों को वरीयतानुसार स्कॉलरशिप देने का निर्णय लिया गया था ताकि विश्वविद्यालय अपने निजी वित्तीय संसाधनों से आलोच्य व्यय को वहन कर सके लेकिन वर्तमान में उक्त पाठ्यक्रमों में प्रवेशित समस्त छात्रों को छात्रवृति देने से विश्वविद्यालय कोष पर अत्यधिक वित्तीय भार पड़ रहा है जो पूर्वोक्त पाठ्यक्रमों से प्राप्त आय की तुलना में अत्यधिक है तथा विश्वविद्यालय को UGC/AICTE से भी इस निमित्त कोई सहायतार्थ/अनुदान प्राप्त नहीं हो रहा है। प्रति–कुलपति द्वारा समिति को जानकारी दी गई कि विश्वविद्यालय अधिनियम में परिवर्णित उद्देश्यों यथा अनुसंधान वृत्ति को बढावा देने, तकनीकी ज्ञान के संवर्धन व प्रोन्नयन करने के उद्देश्य से छात्रों को उच्च अध्ययन हेतु आकर्षित करने के परिपेक्ष्य में एम.टेक./पी.एच.डी. में प्रवेशित समस्त छात्रों को छात्रवृत्ति दिया जाना आवश्यक है। समिति द्वारा विचार विमर्श कर निर्देश दिये गये कि छात्रवृत्ति की व्यवस्था यथावत जारी रखी जावे लेकिन डीन फेकल्टी अफेयर्स द्वारा सुनिश्चित किया जावे कि भारत सरकार/राज्य सरकार/अन्य संस्थानों से छात्रवृत्ति प्राप्त करने वाले छात्रों को विश्वविद्यालय छात्रवृत्ति अनुमत नहीं की जावे।

वि.स.क्र. 15.14	**वित्तीय वर्ष 2013–14 के चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा जारी अंकेक्षण प्रतिवेदन के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)**
	विश्वविद्यालय के वित्तीय वर्ष 2013–14 के लेखों की जांच उपरान्त विश्वविद्यालय के अधिकृत चार्टेड अकाउन्टेन्ट द्वारा अंकेक्षण प्रतिवेदन जारी किया गया है जिसकी प्रति समिति के अवलोकन हेतु संलग्न प्रस्तुत किया गया (परिशिष्ट–11 पृष्ठ संख्या 142–165)।
संकल्प	**समिति द्वारा CA अंकेक्षण प्रतिवेदन वर्ष 2013–14 का अवलोकन किया गया तथा प्राथमिकता से अग्रिम राशियों के नियमानुसार समायोजन/वसूली करने एवं भविष्य में यथा समय नियमित रूप से सनदी लेखाकार से अंकेक्षण कराने के निर्देश दिये गये।**
वि.स.क्र. 15.15	**वित्तीय वर्ष 2014–15 के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन के संबंध में। (वित्त नियंत्रक)**
	विश्वविद्यालय के वित्त वर्ष 2014–15 के लेखों की जांच उपरान्त महालेखाकार द्वारा निरीक्षण प्रतिवेदन जारी किया गया है। जिसकी प्रति समिति के अवलोकन हेतु संलग्न प्रस्तुत की गई। (परिशिष्ट–12 पृष्ठ संख्या 166–195)।
संकल्प	**समिति द्वारा वर्ष 2014–15 के महालेखाकार निरीक्षण प्रतिवेदन का अवलोकन किया गया तथा अविलम्ब वांछित कार्यवाही कर प्रथम अनुपालना प्रतिवेदन महालेखाकार अंकेक्षण को प्रेषित करने हेतु कुलसचिव/वित्त नियंत्रक को निर्देशित किया गया।**
वि.स.क्र. 15.16	**कर्मचारी कल्याण कोष सोसायटी में नियुक्त कार्मिकों के मानदेय की स्वीकृति के संबंध में। (सदस्य सचिव, स्टाफ वेलफेयर फण्ड)**
	सदस्य सचिव, स्टाफ वेलफेयर फण्ड के आदेश क्रमांक 24605–12 दिनांक 16.03.2015 द्वारा कर्मचारी कल्याण कोष सोसायटी के आवश्यक कार्यो को सुचारू रूप से संचालित करने हेतु कार्य विभाजन कर श्री जे.पी. गुप्ता, सहायक अनुभाग अधिकारी तथा श्री के.के. जैन, सूचना सहायक को पृथक–2 कार्य आवंटित कर दोनो कार्मिकों को राशि रू. 1500/– रू. प्रतिमाह प्रति व्यक्ति की दर से भुगतान करने की स्वीकृति जारी की गयी है (परिशिष्ट–13 पृष्ठ संख्या 196–197)। श्री जे.पी. गुप्ता, सहायक अनुभाग अधिकारी को सोसायटी के लेखों का संधारण/संचालन हेतु पारिश्रमिक संबंधी एजेण्डा वित्त समिति में अनुमोदन उपरांत कार्यालय आदेश क्रमांक 2764–68 दिनांक 07.03.2014 से जारी कर 1500/– प्रतिमाह की दर से पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है (पृष्ठ संख्या 198)।

	श्री शिशुपाल (सहायक कर्मचारी) सोसायटी के डाक एवं अन्य कार्य सुचारू रूप से संचालित करने हेतु दिनांक 03.08.2015 को बैठक में की गई समिति की अभिशंषा पर माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरान्त राशि रू. 500/– प्रतिमाह पारिश्रमिक भुगतान के आदेश क्रमांक 7975–82 दिनांक 10.08.2015 से जारी किये गये हैं (पृष्ठ संख्या 199) तथापि वित्त समिति/प्रबंध मडंल के अनुमोदन के अभाव में उक्त दोनों कामिकों को पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया जा रहा हैं। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।
संकल्प	**समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर सहमति व्यक्त की गयी।**
वि.स.क्र. 15.17	**कुलपति आवास के लिए सुरक्षा सहायक एवं वाहन चालक उपलब्ध करवाने के संबंध में। (सम्पदा अधिकारी)**
	(i) माननीय कुलपति के आवास–कार्यालय पर प्रातः से सायं तक 2 सुरक्षा सहायकों की आवश्यकता है। जिनको Outsourcing Agency के माध्यम से लिया जाना प्रस्तावित किया गया है। जिस पर वार्षिक अनुमानित व्यय राशि रू. 129168.00 होगा। (ii) विश्वविद्यालय में वाहन चालकों के स्वीकृत 3 पदों के समक्ष मात्र एक वाहन चालक कार्यरत है जो परीक्षा अनुभाग में बस के चालन हेतु पदस्थ है। माननीय कुलपति के सरकारी वाहन पर वर्तमान में कोई सरकारी वाहन चालक उपलब्ध नहीं है। एक वाहन चालक Outsourcing Agency के माध्यम से कार्यरत है जो कि प्रातः 10.00 बजे से सायं 05.00 बजे तक कार्य करता है, किन्तु माननीय कुलपति महोदय को विभिन्न सरकारी/विश्वविद्यालय कार्यों से 10 बजे से पूर्व तथा 5 बजे के पश्चात भी यात्रा करनी होती है। अतः माननीय कुलपति के सरकारी वाहन हेतु एक अन्य वाहन चालक राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत दरों एवं शर्तों पर पंजीकृत संविदा एजेन्सी के माध्यम से किराये पर लिये जाने की स्वीकृति अपेक्षित है जिस पर वार्षिक अनुमानित व्यय राशि रू. 64,584.00 होगा (परिशिष्ट–14 पृष्ठ संख्या 200–201)। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर तकनीकी शिक्षा विभाग, राजस्थान सरकार के आदेश क्रमांक प.23(7)त.शि./2006-I दिनांक 15.02.2016 से प्रदत्त निर्देशों के अन्तर्गत प्रस्तावित संविदा सेवायें उपाप्त करने की सहमति दी गई।

वि.स.क्र. 15.18 **गेस्ट हाउस में पंजीकृत संविदा एजेन्सी के माध्यम से संचालन सेवायें उपापन करने के संबंध में। (सम्पदा अधिकारी)**

विश्वविद्यालय परिसर में स्थित अथिति गृह (गेस्ट हाउस) को हाल ही में अपग्रेड कर 8 अतिरिक्त कमरे बनाये गये है। वर्तमान में विश्वविद्यालय में अतिथि गृह के संचालन हेतु कोई स्टॉफ उपलब्ध नहीं है। विश्वविद्यालय में अतिथि गृह के संचालन के लिए पंजीकृत संविदा एजेन्सी के माध्यम से निम्नलिखित स्टॉफ/सेवाओं का किराये पर (एकमुश्त संविदा पारिश्रमिक मासिक भुगतान) उपापन किया जाना प्रस्तावित किया गया है जिस पर वार्षिक अनुमानित व्यय राशि रू. 6.00 लाख होगा।

क्र.स.	सेवाओं का विवरण	संख्या
1	Cook	2
2	Helper	2
3	Attendent	3
4	Supervisior	1

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं अनुमोदनार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प

समिति द्वारा प्रकरण पर चर्चा की गई तथा नियमानुसार पंजीकृत सेवा प्रदाता एजेंसी के माध्यम से गेस्ट हाउस हेतु प्रस्तावित संविदा सेवाएं उपाप्त करने की सहमति व्यक्त की गई।

वि.स.क्र. 15.19 **सत्र 2015–16 से प्रवेश लेने वाले छात्रों के लिए छात्रावास शुल्क की दरों में वृद्धि करने के संबंध में। (चीफ वार्डन)**

मुख्य छात्रावास अधीक्षक से सत्र 2015–16 में प्रवेशित छात्रों के छात्रावास शुल्क की दरों में वृद्धि हेतु निम्नानुसार प्रस्ताव प्राप्त हुए है (परिशिष्ट–15 पृष्ठ संख्या 202)।

क्र.स.	फीस मद	वर्तमान दर	प्रस्तावित दर
1	कमरा किराया	1200/– प्रतिवर्ष @100/- प्रतिमाह की दर से सिंगल सीटेड, डबल सीटेड या ट्रिपल सीटेड	ट्रिपल सीटेड @ 150/- प्रतिमाह की दर से 1800/- रूपये वार्षिक डबल सीटेड @ 200/- प्रतिमाह की दर से 2400/- रूपये वार्षिक सिंगल सीटेड @ 300/- प्रतिमाह की दर से 3600/- रूपये वार्षिक
2	विद्युत व्यय	@300/- प्रतिमाह की दर से 3600/- रू. वार्षिक वर्ष 2012–13 के वास्तविक उपभोग के आधार पर वर्ष 2014–15 में निर्धारित किये गये थे। कूलर हेतु मुख्य छात्रावास अधीक्षक की पूर्व अनुमति उपरान्त 300/– प्रतिमाह अतिरिक्त वसूली योग्य है।	यथावत
3	पानी व्यय	30/– रू. प्रतिमाह की दर से 360/– रू. वार्षिक	55/– रू. प्रतिमाह की दर से 660/– रू. वार्षिक
4	छात्रावास रखरखाव व्यय	350/– रू. प्रतिवर्ष	500/– रू. प्रतिवर्ष
5	छात्रावास गतिविधि व्यय	150/– रू. प्रतिवर्ष	500/– रू. प्रतिवर्ष
6	कॉशन मनी	1000/– रू. (एक मुश्त) छात्रावास फीस के साथ राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के खाते में।	1000/– रू. (एक मुश्त) के साथ 2000/– (एक मुश्त) हॉस्टल/मैस कॉशन मनी हॉस्टल फण्ड खाते में जमा किये जावे। उक्त कॉशन मनी राशि रू. 3000/– संबंधित छात्र द्वारा अतिरिक्त चार्ज/शास्ति जमा नहीं कराने के एवज में समायोजित की जायेगी।

संकल्प

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन कर आवश्यक विचार–विमर्श उपरांत बिन्दु संख्या 5 व 6 को आस्थगित करते हुए प्रस्तावित दरों में आंशिक संशोधन सहित निम्नांकित दरों के अनुमोदन की अभिशंषा की गई :–

क्र.स.	फीस मद	स्वीकृत दरें
01.	कमरा किराया	प्रस्तावानुसार
02.	विद्युत व्यय	वास्तविक उपभोग के अनुसार
03.	पानी व्यय	प्रस्तावानुसार
04.	छात्रावास रखरखाव शुल्क	प्रत्याहरित की गई

वि.स.क्र. 15.20

एम.टेक./पी.एच.डी. छात्रों के कॉन्फ्रेन्स/सेमीनार/वर्कशॉप में उपस्थित होने अथवा रिसर्च पेपर प्रजेन्टेशन हेतु भाग लेने अथवा भारत के अन्दर शैक्षणिक भ्रमण (औद्योगिक/रिसर्च विजिट) हेतु टी.ए./डी.ए./स्टे चार्जेज/रिफ्रेशमेन्ट/कन्टीजेन्ट दरों के अनुमोदन के संबंध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स)

11वीं वित्त समिति में बिन्दु संख्या 11-17A पर पारित प्रस्ताव का प्रबंध मंडल में बिन्दु संख्या 20.5 पर अनुमोदन के क्रम में कुलसचिव के आदेश क्रमांक एफ(2)/2/2015/24271–75 दिनांक 10.03.2015 से सेन्टर फॉर एनर्जी एवं एन्वॉयरमेन्ट संकाय के एम.टेक/पी.एच.डी. में प्रवेशित छात्रों को उपरोक्त वर्णित कॉन्फ्रेन्स/सेमीनार/वर्कशॉप अथवा शैक्षणिक भ्रमण हेतु दरें अनुमोदित की गयी थी। उक्त दरों/शर्तो पर विश्वविद्यालय के अन्य संकायों के एम.टेक./पी.एच.डी. में प्रवेशित छात्रों के लिए कॉन्फ्रेन्स/सेमीनार/वर्कशॉप अथवा शैक्षणिक भ्रमण हेतु लागू करने के प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये (परिशिष्ट–16 पृष्ठ संख्या 203–205)।

विश्वविद्यालय के इस संबंध में किसी प्रकार के परिनियम/अध्यादेश स्वीकृत नहीं है। प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा आवश्यक विचार–विमर्श उपरांत निर्देश दिये गये कि विश्वविद्यालय द्वारा राजस्थान विश्वविद्यालय, जयपुर के परिनियम/अध्यादेश लागू किये गये हैं। अतएव, राजस्थान विश्वविद्यालय के परिनियमों/अध्यादेशों का सम्यक अनुशीलन कर विश्वविद्यालय पर अतिरिक्त वित्तीय भार का आकलन करते हुये विश्वविद्यालय की आय/प्राप्तियों के परिपेक्ष्य में औचित्यपूर्ण विस्तृत प्रस्ताव रखे जावें। प्रस्ताव आस्थगित किया गया।

वि.स.क्र. 15.21	विभिन्न शैक्षणिक गतिविधियों के लिए पारिश्रमिक/मानदेय/अल्पाहार/भोजन की दरों की स्वीकृति के संबंध में। (डीन फेकल्टी अफेयर्स)
	विश्वविद्यालय द्वारा शिक्षकों के कौशल विकास हेतु आयोजित किए जाने वाले विभिन्न कार्यक्रमों/शैक्षणिक गतिविधियों के अन्तर्गत संदर्भ व्यक्तियों/विषय विशेषज्ञों को देय मानदेय/पारिश्रमिक/अल्पाहार/भोजन की दरों की स्वीकृति के संबंध में निम्नानुसार प्रस्ताव प्रस्तुत किये गये है (परिशिष्ट–17 पृष्ठ संख्या 206–207)।

S. No	Budget Head	Rate	Remarks
1	Honorarium to Experts/resource person from /Institute of National repute (eg IIT/NIT/IIIT Central Research lab/Centre University or equivalent	i) for expert lecture session Rs 2000/- per hour ii) for Lab session Rs 1500/- per hour	(Subject to maximum 4 hours perday)
2	From State Universites/State Institute of Repute	i) for expert lecture session Rs 1500/- per hour ii) for Lab session Rs 1000/- per hour	(Subject to maximum 4 hours perday)
3	From Industry	Shall be decided from above category by Dean Faculty affairs on the recommendation of concerned coordinator	
4	All such expert/resource person shall be considered as University Guest. Their accommodation shall be arranged in following order : i) RTU Guest House ii) VMOU Guest House iii) Guest House of any other Govt. organization/Public sector iv) Hotel	Rs. 4000/- per person per day including food	
5	For participants/ volunteers / organizing team food charges shall be as under i) Lunch/Dinner ii) Refreshment /breakfast Snacks with tea	Rs. 300/- per head Rs. 100/- per head Rs. 50/- per head	
6	Travel charges to experts	As per TA Rules of RTU. In case of taxi as per actual expenses	By own car/air travel with prior permission of HVC
7	Local conveyance	Taxi may be hired	From approved agency of RTU
8	Misc Exp. Mementos, Boqutes photography, mineral water printing/stationary, petrol etc.	Actual	As per actual bills duly verified by Coordinator within approved budget

विश्वविद्यालय द्वारा 12वीं वित्त समिति के बिन्दु संख्या 12.2 पर की गयी अनुषंशानुसार प्रबंध मण्डल के अनुमोदन पर (IIT/IIM/IIIT/NIT/Central/CSIR/Labs/PSU'S के विषय विशेषज्ञों के व्याख्यान हेतु राशि रू. 1000/– प्रति कालांश अधिकतम 4000/– रू. प्रतिदिन की सीमा में मानदेय की दरें निर्धारित की

गयी है तथा प्रबंध मण्डल के सदस्यों के समकक्ष वास्तविक यात्रा व्यय का भुगतान एवं आवास सुविधा उपलब्ध कराई जाती है।

साथ ही वित्त समिति की 13वीं बैठक के बिन्दु संख्या 13.8 पर अल्पाहार एवं भोजन के लिए क्रमशः रू. 50/– एवं रू. 200/– प्रति व्यक्ति निर्धारित है।

प्रकरण समिति के समक्ष विचारार्थ एवं निर्णयार्थ प्रस्तुत किया गया।

संकल्प

समिति द्वारा प्रस्ताव का अवलोकन किया गया तथा आवश्यक चर्चा कर निम्नानुसार निर्णय लिया गया :–

Budget Head	Existing Approved Rates	Sanctioned Revised Rates
Honorarium to Experts/resource person from /Institute of National repute (eg IIT/NIT/IIIT Central Research lab/Centre University or equivalent	Rs 1000/- per session Subject Maximum Rs 4000/- per day	Rs 2000/- per hour subject to Maximum of Rs 5000/- per day
From State Universities/ State Institute of Repute/ Industry	-	Rs 1500/- per hour subject to Maximum of Rs 4000/- per day

बाह्य विषय विशेषज्ञों/विश्वविद्यालय अतिथियों के यात्रा, भोजन, अल्पाहार, आवास इत्यादि पर होने वाले वास्तविक व्यय का भुगतान माननीय कुलपति के अनुमोदन उपरांत किया जा सकेगा।

बैठक के अंत में वित्त नियंत्रक द्वारा माननीय अध्यक्ष एवं सभी सदस्यों को धन्यवाद ज्ञापित किया गया।

Kaushik

(प्रो. एन.पी. कौशिक)
कुलपति एवं अध्यक्ष
वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

(एस. एन. शर्मा)
वित्त नियंत्रक एवं सदस्य सचिव
वित्त समिति
राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय, कोटा

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

BUDGET ESTIMATED F.Y. 2016-17 (INCOME)

Rs. in Lacs

Sr. No.	Head Of Office/Coordinator Head of Income	Actuals Income 2012-13	Actual Income 2013-14	Actual Income 2014-15	Sanctioned Budget 2015-16	Actual Income upto Jan-2016	Revised Income 2015-16	Income Estimate 2016-17
1	***Dean (Academic Affairs):***	***933.14***	***1092.42***	***1467.19***	***1454.62***	***1455.06***	***1455.06***	***1613.77***
1.1	Tuition Fees: B.Tech/MBA/M.Tech/Ph. D. Fees	928.40	1058.41	1457.73	1454.62	1455.06	1455.06	1613.77
	Miscellancoues Fee/Income	4.74	34.01	9.46	0.00	0.00	0.00	0.00
2	***Chief Warden:***	***35.30***	***46.14***	***50.28***	***47.20***	***47.20***	***47.20***	***50.00***
2.1	Income From Hostel (Room rent & other charges)	35.30	46.14	50.28	47.20	47.20	47.20	50.00
3	***Dean (Academic Affairs):***	***558.25***	***424.65***	***491.00***	***458.25***	***698.92***	***698.92***	***650.00***
3.1	Affiliation fee/Increase Intake Fee	430.65	355.05	343.13	357.00	608.17	608.17	579.00
3.2	Inspection fee	50.10	49.35	53.37	76.25	54.90	54.90	71.00
3.3	Penalty fee (Academic)	77.50	11.75	64.25	25.00	20.35	20.35	0.00
3.4	NOC Fee	0.00	8.50	30.25	0.00	15.50	15.50	0.00
4	***Controller of Examination:***	***6427.22***	***6501.90***	***5578.51***	***4986.00***	***5619.81***	***5619.81***	***5735.00***
4.1	Development Fee	1264.58	1696.30	1270.13	800.00	754.98	754.98	700.00
4.2	Enrollment Fee	106.41	129.96	137.58	90.00	107.26	107.26	100.00
4.3	Examination Fee	4633.07	4027.96	3619.31	3600.00	4241.02	4241.02	4100.00
4.4	Revaluation fees	142.38	353.84	372.81	400.00	374.38	374.38	800.00
4.5	Migration Fees/Improvement fee/ Miscellaneoues Exam fee i.e. duplicate marksheet/transcript fees/degree verification fee etc.	180.78	285.36	151.84	71.000	121.04	121.04	10.00
4.6	Inspection of Answer Books	100.00	8.48	26.84	25.00	21.13	21.13	25.00
5	***Coordinator CAM:***	***0.00***	***0.00***	***0.00***	***60.00***	***47.40***	***47.40***	***50.00***
5.1	CAM Counselling Fees	0.00	0.00	0.00	60.00	47.40	47.40	50.00
6	***Comptroller:***	***1077.19***	***1092.83***	***1604.40***	***1600.00***	***1405.00***	***1616.00***	***1650.00***
6.1	Interest on FDR's & sweep a/c's	1077.19	1091.33	1604.40	1600.00	1405.00	1616.00	1650.00
6.2	Other income	0.00	1.50	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	***Estate Officer***	***7.86***	***8.75***	***7.31***	***6.18***	***3.86***	***3.92***	***2.80***
7.1	Income from Guest House	0.78	0.59	0.01	0.25	0.08	0.08	0.20
7.2	Income from Rent (Residence qtr/Shoping Center/Canteen/PNB ATM etc.)	4.97	4.82	6.63	5.53	3.74	3.80	2.50
7.3	Miscellaneoues Charges (Tender fee etc)	2.11	3.34	0.67	0.40	0.04	0.04	0.10
8	***Registrar:***	***0.00***	***3.40***	***9.74***	***1.69***	***0.63***	***0.71***	***0.00***
8.1	Convocation Income (Registration)	0.00	0.26	1.05	1.16	0.40	0.40	0.00
8.2	Recruitment Application Form Fees	0.00	1.06	8.11	0.00	0.00	0.00	0.00
8.3	RTI Fees	0.00	0.07	0.08	0.03	0.04	0.06	0.00
8.4	Vehicle Charges/others etc.	0.00	2.01	0.50	0.50	0.19	0.25	0.00
	Total	**9038.96**	**9170.09**	**9208.43**	**8613.94**	**9277.88**	**9489.02**	**9751.57**

Note- Migration and Improvement fees have also been included in Examination Fee in 2016-17.

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

BUDGET ESTIMATE F.Y. 2016-17 (EXPENDITURE)

Rs. In Lacs

S. No.	Object Code	Object Head	Head of Office/ DDO	Actual Expenses 2012-13	Actual Expenses 2013-14	Actual Expenses 2014-15	Sanctioned Budget 2015-16	Actual Expenses 2015-16 (up to Jan-16)	Revised Estimate 2015-16	Budget Estimate 2016-17	
A		REVENUE EXPENDITURE (RECURRING)		Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.	Rs.
1	1	*SALARY AND PROVISIONS:-* Salaries, Renewal premium for Gratuity, Leave Encashment fund with LIC, Univeristy contribution to CPF	Comptroller	1866.14	2218.18	3325.40	2656.85	2413.33	3200.00	3200.00	3200.00
2	3	*TRAVELLING EXPENSES*	Comptroller	7.73	8.94	7.39	13.70	2.50	8.70	10.00	10.00
3	4	*MEDICAL EXPENSES*	Comptroller	8.16	10.13	22.36	15.00	3.99	15.00	20.00	20.00
4	87	*HEALTH INSURANCE PREMIUM (MEDI-CLAIM POLICY) WRT EMPLOYEES JOINED ON OR AFTER 01.01.2004*	Comptroller	0	0	0	3.65	2.06	3.65	4.00	4.00
5	89	*UNIVERSITY CONTRIBUTION IN CONTRIBUTORY PENSION SCHEME (NPS) WRT EMPLOYEES JOINED ON OR AFTER 01.01.2004*	Comptroller	0	0	0	40.65	38.50	40.65	55.00	55.00
6	5	*OFFICE EXPENSES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	5.1	General expenses for office management/maintenance (Telephone Exp, Office Exp, Printing & Stationery exp, Books & periodicals for office use)	All HOO	101.13	95.93	98.95	83.00	45.30	68.00	72.00	182.50
	5.2	Postage & Courier	COE	36.79	35.31	34.49	40.00	37.88	65.00	80.00	
	5.3	Repairs of Furniture	Dean (F/A)	0	0	0.00	22.00	0.00	2.00	0.00	
	5.4	Memento Expenses	Dean (F/A)	0	0	0.00	2.50	0.00	2.50	0.50	
	5.5	Contingent Expenses / TEQIP Contribution Fund/Smart Village/Library Apprentice Trainees	Dean (F/A)	0	0	0.00	20.00	6.64	55.00	30.00	
7	7	*RUNNING AND MANITENANCE OF OFFICE VECHICLES:-* Maintenance of Vehicles (Bus)	COE	4.24	5.7	5.28	2.00	1.02	2.00	5.00	5.00

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

BUDGET ESTIMATE F.Y. 2016-17 (EXPENDITURE)

Rs. In Lacs

S. No.	Object Code	Object Head	Head of Office/ DDO	Actual Expenses 2012-13	Actual Expenses 2013-14	Actual Expenses 2014-15	Sanctioned Budget 2015-16	Actual Expenses 2015-16 (up to Jan-16)	Revised Estimate 2015-16	Budget Estimate 2016-17	
8	8	*PROFESSIONAL AND SPECIAL SERVICES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	8.1	Legal services/Consultancy/Audit Expences	All HOO	2.05	3.59	1.87	4.00	2.36	4.00	5.00	1165.50
	8.2	Evaluation (Theory & Practical)/Revaluation	COE	607.59	637.51	653.07	650.00	357.70	650.00	800.00	
	8.3	Conduct of Examinations	COE	238.06	276.2	215.66	225.00	217.42	275.00	250.00	
	8.4	Honorarium for colleges inspection	Dean (A/A)	3.12	22.35	2.75	8.00	0.19	3.00	20.00	
	8.5	Guest Faculty	Dean (F/A)	19.67	12.42	67.03	71.00	70.39	101.00	70.00	
	8.6	P.T.P. (Campus interview related exp)	Dean (F/A)	0.6	0	2.23	8.00	0.77	8.00	10.00	
	8.7	Payment for M.Tech and PH.d Exams	Dean (F/A)	0.59	0	3.95	8.00	3.22	8.00	5.00	
	8.8	Expert Lecturer/Visitor for Ph.D. Programme	Dean (F/A)	0	1.78	0.17	11.50	0.40	1.50	1.00	
	8.9	Administrative Honorarium	Dean (F/A)	0.89	0.86	0	1.00	0.00	1.00	1.00	
	8.1	Exam/Honorarium Expenses for RTU DAT/CAM		0	0	1.77	3.50	1.33	3.50	3.50	
9	10	*PUBLICATION EXPENSES:-* News Letter	All HOO	0	0	0	3.00	0.00	3.00	3.00	3.00
10	11	*ADVERTISEMENT EXPENSES:-* Advertisement Expenses	All HOO	3.34	14.53	2.15	20.00	7.60	20.00	20.00	20.00
11	13	*SCHOLARSHIP & STIPEND:-* Scholarship (Teaching Asstt) for M.Tech and Ph.D. Programe	Dean (F/A)	90.67	131.57	135.1	201.00	192.60	251.00	180.00	180.00
12	15	*SECRET SERVICE EXPENSES (CONFIDENTIAL EXAM WORK):-* Printing of Question Paper & Degree	COE	278.77	111.59	153.08	200.00	99.91	150.00	200.00	200.00
13	19	*ELECTRICTY AND WATER CHARGES:-* Light & Water Charges	EO	69.66	75.54	74.3	100.00	101.01	125.00	150.00	150.00
14	21	*MAINTENANCE AND REPAIRS:-* Hostels. Library, Academic Block, Staff Quarters, Guest House Buildings, Roads, Loaboratories & Maintenance & Fuel of Vehicals and DG Set, Laying of Sports Track	EO	134.31	166.69	372.31	400.00	120.60	200.00	800.00	800.00
15	22	*MATERIAL AND SUPPLIES:-* Answer Books Printing & Supply	COE	202.87	210.4	119.65	150.00	134.21	175.00	200.00	200.00

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

BUDGET ESTIMATE F.Y. 2016-17 (EXPENDITURE)

Rs. In Lacs

S. No.	Object Code	Object Head	Head of Office/ DDO	Actual Expenses 2012-13	Actual Expenses 2013-14	Actual Expenses 2014-15	Sanctioned Budget 2015-16	Actual Expenses 2015-16 (up to Jan-16)	Revised Estimate 2015-16	Budget Estimate 2016-17	
16	29	*TRAINING, TOURS AND CONFERENCE EXPENSES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	29.1	Conference Expenses, Workshop & Meeting Expenses	Dean (F/A) & Dean (A/A)	3.9	2.44	10.76	19.00	2.52	9.00	12.00	12.00
	29.2	*Student Education Training Expenses (SETE)* - (including Institute Interaction with Industry, Student Activities, Technical Visit/Education Tour, Arranging lab classes at other Universitys/Institutes including loading and Boarding of students)	Dean (F/A)	18.76	7.57	16.16	50.50	8.71	20.50	20.00	20.00
17	30	*FUNCTION AND EXHIBITIONS EXPENSES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	30.1	Convocation Expenses	Registrar	1.87	9.9	40.07	20.00	6.44	20.00	40.00	75.00
	30.2	Faculty Development Programme	Dean (F/A)	0	0	0.59	15.00	0.00	5.00	5.00	
	30.3	Expert Lecture Series	Dean (F/A)	0	0	3.91	10.00	0.20	5.00	5.00	
	30.4	Techical Fest/Cultural Fest	Dean (F/A)	0	0	0.09	10.00	4.85	10.00	5.00	
	30.5	ESF Fund	Dean (F/A)	4.71	4.42	7.13	10.00	6.92	10.00	10.00	
	30.6	Games & Sports	Dean (F/A)	2.01	4.99	3.34	10.00	0.31	10.00	10.00	
	30.7	Cultural Fest	Dean (F/A)	0	0	0.59	10.00	3.44	10.00	0.00	
18	33	*LABORATORY EXPENSES:-* Lab Consumables	Dean (F/A)	0	0	0.22	10.00	0.26	10.00	20.00	20.00
19	36	*HIRING CHARGES OF VEHICLE*	All HOO	36.56	40.58	45.93	50.00	42.03	60.00	50.00	50.00
20	37	*LIVERIES AND OTHER FACILITIES:-* Liveries	Dean (F/A)	1.08	0.97	1.29	2.00	1.33	2.00	2.50	2.50
21	41	*CONTRACTUAL EXPENSES FOR OUTSOURCING STAFF/SERVICES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	41.1	Pre & Post Exam (Job Work)	COE	182.18	183.63	134.96	200.00	90.79	150.00	250.00	480.00
	41.2	Hiring of Machine with Men & peons/Retired Employees/Hiring of contractual services for Guest House	All HOO	24.35	63.73	69.12	300.00	216.54	265.00	70.00	
	41.3	Hiring of Security Services/Drivers	EO	46.15	60.77	63.20				70.00	
	41.4	Gardening & Land Scaping	EO	6.91	22.2	40.06				50.00	
	41.5	Cleaning and sweeping	EO	0	0	0				40.00	

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

BUDGET ESTIMATE F.Y. 2016-17 (EXPENDITURE)

Rs. In Lacs

S. No.	Object Code	Object Head	Head of Office/ DDO	Actual Expenses 2012-13	Actual Expenses 2013-14	Actual Expenses 2014-15	Sanctioned Budget 2015-16	Actual Expenses 2015-16 (up to Jan-16)	Revised Estimate 2015-16	Budget Estimate 2016-17	
22	43	*EMPLOYEES AND STUDENTS WELFARE EXPENSES:-* Group Insurance Staff/Students	All HOO	1.36	1.55	1.60	3.00	0.00	3.00	5.00	5.00
23	57	*EXPENSES ON SPECFIC SERVICES :-* Accrediation & 12B Recognisation & fees to other professional bodies (AICTE, NBA, NAAC etc)	Dean (F/A)	0	0	0	30.00	0.00	30.00	10.00	10.00
		TOTAL (A)		**4006.22**	**4441.97**	**5737.98**	**5712.85**	**4245.27**	**6061.00**	**6869.50**	**6869.50**
B		**REVENUE EXPENDITURE (NON-RECURRING)**									
24	5	*OFFICE EXPENSES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		Purchase of all type of Furniture:- (Student/Faculty/Hostel/Office and any type of furniture)	All HOO	27.45	37.98	50.36	135.00	43.02	135.00	100.00	100.00
25	-	CM Budget Annuancement Exp. (trns to Govt Colleges)	-	1000	0	0	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
26	31	*EXPENSES ON LIBRARY AND PERIODICALS (BOOKS, JOURNALS, MAGAZINS/OTHER PERIODICALS FOR LIBRARIES):-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	31.1	E-resources Library	Dean (F/A)	36.74	5.38	0.74	58.00	43.30	83.00	50.00	50.00
	31.2	Library Books & Foreign Journals	Dean (F/A)	36.63	24.58	25.63	42.00	18.05	42.00	50.00	50.00
27	62	*COMPUTERISATION AND RELATED COMMUNICATION EXPENSES:-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	62.1	Computerisation/Automation of Accounting system	FO	0	0	27.9	56.00	7.25	26.00	30.00	30.00
	62.2	CCTV In Q P Locker other Security	COE	0.4	0.08	0	5.00	0.00	5.00	5.00	5.00
	62.3	Software Dev-Anti Plagrisum software	COE	1.07	0	0	5.00	0.00	5.00	0.00	0.00
	62.4	Softwares	All HOO	0	0	0	150.00	0.00	60.00	100.00	100.00
		TOTAL (B)		1102.29	68.02	104.63	451.00	111.62	356.00	335.00	335.00

RAJASTHAN TECHINCAL UNIVERSITY, KOTA

BUDGET ESTIMATE F.Y. 2016-17 (EXPENDITURE)

Rs. In Lacs

S. No.	Object Code	Object Head	Head of Office/ DDO	Actual Expenses 2012-13	Actual Expenses 2013-14	Actual Expenses 2014-15	Sanctioned Budget 2015-16	Actual Expenses 2015-16 (up to Jan-16)	Revised Estimate 2015-16	Budget Estimate 2016-17	
C		**CAPITAL EXPENDITURE**									
28	6	*PURCHASES OF VEHICLES:-* PURCHASE OF CAR	EO	0	0	0	10.00	0.00	0.00	20.00	20.00
29	16	MINOR WORKS (Constructions not more than 50 lacs)	EO	13.94	0	62.11	135.00	5.95	35.00	135.00	135.00
30	17	MAJOR WORKS (Constructions more than 50 lacs)	EO	14.04	95.45	1365.5	1030.00	100.00	1830.00	1933.00	1933.00
31	18	*MACHINERY AND EQUIPMENTS /TOOLS AND PLANTS (METP):-*	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	18.1	Computer, Laptops, Server, Networking Strong Server & WiFi	All HOO	33.3	5.01	54.27	440.00	67.47	290.00	200.00	200.00
	18.2	Teaching Learning aids & Multimedia rooms in each department	Dean (F/A)	0	0	0	10.00	0.00	0.00	4.00	4.00
	18.3	Equipment Aeronotical & Petroleum	Dean (F/A)	0	0	0	90.00	5.54	90.00	0.00	0.00
	18.4	Machinery/Lab Equipment	Dean (F/A)	24.71	12.76	54.96	400.00	14.22	150.00	200.00	200.00
	18.5	Office Equipment	All HOO/COE	0	0	0	10.00	0.00	10.00	10.00	10.00
	18.6	Furnishing School & Language lab equipments	Dean (F/A)	0	0	0	40.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.7	Airconditioning	All HOO	0	0	0	75.00	0.00	75.00	45.00	45.00
	18.8	Aircooling	All HOO	0	0	0	125.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	18.9	Automation Library	Dean (F/A)	0	0	1.69	10.00	0.00	10.00	0.00	0.00
32	72	*MODERNISATION, STRENGTHENING, RENOVATIONA AND UPGRADATION EXPENSES:-* Moderization of Classrooms and Faculty	Dean (F/A)	0	0	0	75.00	0.00	0.00	0.00	0.00
		TOTAL (C)		85.99	113.22	1538.53	2450.00	193.18	2490.00	2547	2547
		Grant Total A+B+C		5194.50	4623.21	7381.14	8613.85	4550.07	8907.00	9751.50	9751.50